झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

<u>अधिसूचना</u>

राँची, दिनांक– **18** जून, 2024

संख्या–4/नियुक्ति–01–01/2020 का॰ **4007**/ झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 में श्री राजीव कुमार ने अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार के रूप में भाग लिया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 3681 दिनांक 29.07.2020 द्वारा श्री राजीव कुमार (अनुक्रमांक 68064239) की उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति करते हुए 30 दिनों के अन्दर योगदान करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह निदेश दिया गया कि उक्त निर्धारित अवधि में योगदान नही करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

2. श्री कुमार के पूर्व नियोक्ता भारतीय वायुसेना द्वारा उन्हें Airman (एयरमैन) के पद से विरमित नहीं किये जाने के कारण श्री कुमार अधिसूचित पद पर योगदान नहीं कर सके।

3. भारतीय वायुसेना से एयरमैन के पद से Discharge (विरमित) करने हेतु श्री कुमार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में WP(C) No. 11161/2020 दायर किया गया है।

4. श्री राजीव कुमार (अनुक्रमांक 68064239) से संबंधित WP(C) No. 11161/2020 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के उपरांत कार्रवाई करने का निदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया।

5. WP(C) No. 11161/2020 राजीव कुमार बनाम भारत सरकार एवं अन्य दिनांक 11.01.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"8. In any case, the issue which has been raised in the petition is only for grant of NOC by the Indian Air Force / discharge and in view of the submissions made by Mr. Chhibber and the representative appearing for respondent Nos. 1 to 3 / Indian Air Force and the fact that the petitioner would stand discharged on January 31, 2024, the alternative relief sought by the petitioner for discharge has been granted and nothing further survives for consideration in this petition. Mr. Chhibber states that the petitioner shall approach the State of Jharkhand to join his duties as Deputy Collector within one week from January 31, 2024.

9. The petition is disposed of."

6. उपरोक्त वाद में दिनांक 11.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के आधार पर आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री राजीव कुमार (अनुक्रमांक 68064239) की झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि (वेतनमान PB-II, 9300–34800 ग्रेड पे 5400) में अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए पलामू जिला में जिला प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थापित किया जाता है।

7. श्री राजीव कुमार को उप समाहर्त्ता के पद पर अनारक्षित कोटि में नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

(i) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि, नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नवनियुक्त परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ताओं का प्रशिक्षण विभागीय पत्रांक 2/स्था0नि0–01/08 का0 4191 दिनांक 08.07.2008 द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि एवं कार्यक्रम के अनुरूप सम्पन्न कराया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थी संलग्न विहित प्रपत्र में अपने वर्तमान पता में अंकित जिला के अनुमण्डल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र प्रशिक्षण हेतु योगदान के समय संबंधित जिला में समर्पित करेंगे कि इनके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही हैं तथा उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधवाद/अन्य वाद दायर नहीं है एवं इनका आचरण प्रतिकूल नहीं है।

(iii) अभ्यर्थी की वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार नियमानुसार निर्धारित की जाएगी। इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है।

(iv) अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से योगदान देना है।

(v) अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला में योगदान के समय निम्न कागजात समर्पित करना होगा :–

(क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–1919 दिनांक 28.01.76 द्वारा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र (प्रति संलग्न)।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या– 5437 दिनांक 09.09.2010 एवं 9519 दिनांक 22.09.2014 के आलोक में विहित प्रपत्र में चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा।

(ग) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र।

(घ) पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति।

(vi) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है।

(vii) नियुक्ति विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5817 दिनांक 03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर 01 महीने की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18/6/24

(प्रदीप कुमार पासवान)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4/नियुक्ति–01–01/2020 का० **4007**/ राँची, दिनांक **18** जून, 2024

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/24

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4/नियुक्ति–01–01/2020 का० **4007**/ राँची, दिनांक **18** जून, 2024

प्रतिलिपि– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/उपायुक्त, पलामू/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं श्री राजीव कुमार, C/o – श्री राम बाबु सिंह, ठाकुर बाड़ी के दक्षिण, चेतन टोला खूटहा, पो0– खूटहा, थाना–बढ़हिया, जिला–लखीसराय, बिहार– 811302 (मो0 नं0– 7004244929) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपायुक्त, पलामू अभ्यर्थी के योगदान प्रतिवेदन, दहेज न लेने–देने संबंधी घोषणा–पत्र एवं संपति विवरणी की मूल प्रति विभाग को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें।

18/6/24

सरकार के अवर सचिव।